**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1091**

**23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों द्वारा आत्‍महत्‍याएं**

**1091 श्री एम0पी0अच्‍युतन:**

 **श्री आर0सी0सिंह:**

 क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्‍या सरकार का ध्‍यान इस वर्ष अनेकों राज्‍यों में किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या किये जाने के मामलों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आत्‍महत्‍या करने वाले किसानों की राज्‍य-वार संख्‍या सहित तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या यह भी सच है कि ये किसान ऋण के भारी बोझ तले दबे हुए थे और उन्‍हें अपने उत्‍पाद के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य भी नहीं मिल रहा था और वे अपने ऋणों का भुगतान करने में पूर्णतया असमर्थ थे;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) ऐसे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (डॉं. चरण दास महन्‍त)**

**(क) तथा (ख):** कृषि कारणों की वजह से किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या की घटनाएं 2011 में आन्‍ध्र प्रदेश (109) तथा महाराष्‍ट्र (123) और 2010-11 में कर्नाटक (77) राज्‍य सरकारों द्वारा सूचित की गई है ।

**(ग) से (ड.):** राज्‍य सरकारों द्वारा जैसा कि सूचित किया गया है किसानों की आत्‍महत्‍या के कई कारण हैं जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ ऋणग्रस्‍तता, फसल असफलता, सूखा, सामाजिक-आर्थिक तथा निजी कारण शामिल हैं ।

इस समस्‍या से निपटने तथा किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्‍नलिखित शामिल हैं:-

1. आन्‍ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं महाराष्‍ट्र में 31 जिलों को कवर करते हुए पुनर्वास पैकेज का कार्यान्‍वयन जिसके तहत 30 जून, 2011 तक 19910.70 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्‍त की गई है ।
2. कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 का कार्यान्‍वयन जिसके तहत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 65318.33 करोड़ रुपये की ऋण माफी/राहत से लगभग 3.69 करोड़ किसान लाभान्‍वित हुए ।
3. मार्च, 2011 तक कृषि क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह 468291.28 करोड़ रुपये तक बढ़ाना । 2011-12 के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्‍य 475000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है जिसमें से नवम्‍बर, 2011 तक 294023 करोड़ रुपये की उपलब्‍धि हुई ।
4. किसानों को ऋण प्रवाह में सरलता लाने एवं वित्‍तीय अन्‍तर्वेशन बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी पात्र एवं इच्‍छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्‍ध कराना । अक्‍तूबर, 2011 तक 10.78 करोड़ केसीसी जारी किए गए हैं ।
5. 3 लाख रुपये तक के फसल ऋण की समय पर अदायगी के लिए ब्‍याज दर में छूट उपलब्‍ध कराना जिससे समय पर फसल ऋण देने वाले किसानों के लिए ब्‍याज की प्रभावी दर 4% प्रति वर्ष तक कम होगी ।
6. फसल पूर्व ब्‍याज दर पर छूट का यह लाभ अब केसीसी धारक छोटे एवं सीमान्‍त किसानों को भी भाण्‍डागार में उनके उत्‍पाद रखने के लिए परक्राम्‍य भाण्‍डागार रसीद के विरुद्ध फसलोपरान्‍त आगे 6 महीने की अवधि के लिए उसी दर पर जैसी कि फसल ऋण के लिए है, उपलब्‍ध है ।
7. लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रत्‍येक वर्ष चिन्‍हित कृषि जिन्‍सों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) की घोषणा । मुख्‍य कृषि जिन्‍सों का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर्याप्‍त रुप से बढ़ाया गया है उदाहरणार्थ 2004-05 से 2011-12 के दौरान मूंगफली के मामले में एमएसपी 80 % से दलहन (मूंग) के लिए 148 % तक बढ़ा

है ।

इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार तथा सतत आधार पर किसानों की स्‍थिति में सुधार के उद्देश्‍य से सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्‍य बातों के साथ-साथ विभिन्‍न योजनाओं जैसे राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय बागवानी मिशन, राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई मिशन, पनधारा प्रबंधन, मृदा स्‍वास्‍थ्‍य एवं उर्वरता प्रबंधन इत्‍यादि के कार्यान्‍वयन के जरिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को पर्याप्‍त रुप से बढ़ाना शामिल है ।

**-----------**